(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 41/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 2015

विषयः– सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तथा प्रशुल्क दर कोटा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात की मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा (i) अक्तूबर, 2015 से सितम्बर, 2016 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ को सीएक्सएल रियायती चीनी के निर्यात के लिए 10,000 टन (दस हजार टन) और (ii) यूएस के वित्तीय वर्ष, 2016 (1 अक्तूबर, 2015 से 30 सितम्बर, 2016) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत निर्यात हेतु गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) कोटा में से खांड (98 डिग्री पोल पर) भी 8424 मी.टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) की मात्रा आबंटित करते हैं।

2. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं0 3/2015–20 के अनुसार सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात तथा टीआरक्यू के तहत चीनी का निर्यात उपर्युक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है।

3. दिनांक 25.9.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद–10 के अनुसार "आदेश सं0 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी के कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) संख्या 2454/93 के अनुच्छेद 55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी"। तद्नुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में निम्नानुसार प्रविष्टियाँ की जानी हैं–

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

"[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं0 09.4321]"

4. उपरोक्त पैरा 3 मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमाशुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाना है।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही चीनी के निर्यात के लिए उद्गम का प्रमाण–पत्र, यदि आवश्यक हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित प्रमाणन की अन्य शर्त यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

6. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं0 3/2015–2020 के द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 30.09.2016 तक सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तथा टीआरक्यू के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा अधिसूचित की गई है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/91/180/879/एएम08/निर्यात सैल/पार्ट]